District Allahabad

Supportive Supervision Vehicle Hiring - Block wise Information 2018-19

Sl.No.	Name of Division	Name of District	Block Name	Vehicle No.	Date of Hiring	Agreement copy Attached
1			Chaka	UP-70-DC-6032		
2			Ramnagar	UP-70-ET-0765		
3			Manda	UP-66-T-4809		
4			Koraon	UP-70-CT-9777		
5			Meja	UP-70-DF-6791		
6			Jasra	UP-70-CX-4421		
7			Shankargarh	UP-70-CL-8887		
8			Kaundhiyara	UP-70-DA-1796		
9			Karchana	UP-64-Q-3001		
10	Allahabad	Allahabad	Holagarh	UP-70-AQ-2795	30-06-2018	Attach
11			Dhanupur	UP-66-T-7199		
12			Handia	UP-70-DD-7776		
13			Kotwa at Bani	UP-70-CF-1666		
14			Kaurihar	UP-70-FT-3371		
15			Baharia	UP-70-BY-3650		
16			Saidabad	UP-70-FT-2043		
17			Phoolpur	UP-70-EE-5854		
18			Mauaima	UP-70-FT-8427		
19			Soraon	UP-70-FT-8432		
20			Pratappur	UP-66-T-5541		

Chief Medical Officer
Allahabad

मुख्य चिकित्साधिकारी

District Allahabad

Supportive Supervision Vehicle Hiring - District Level Information 2018-19

Sl.No.	Name of District	Name of Agreement Signing Officer	Vehicle No.	Date of Hiring	Vehicle No.	Date of Hiring	Agreement copy Attached
1	Allahabad	CMO Allahbad	UP70-ET-9078	30-06-2018	UP70-GT-2161	30-06-2018	Attach

Chief Medical Officer
Allahabad

District Allahabad

Supportive Supervision Vehicle Hiring - Division Level Information 2018-19

Sl.No.	Name of Division	Name of Agreement Signing Officer	Vehicle No.	Date of Hiring	Vehicle No.	Date of Hiring	Agreement copy Attached
1	Allahabad	CMO Allahbad	UP66-Q-0051	30-06-2018	-	-	Attach

Chief Medical Officer
Allahabad

(डा० जी०एस० बाजपेयी)
मुख्य चिकित्साधिकारी
इलाहाबाद।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इलाहाबाद

पत्रांकः एनएचएम / वाहन / सपो0सुप0 / 2018–19 / 3127 दिनांकः–07–07–2018 12-

आदेश

मेसर्स कृष्णा इण्टरप्राजेज, पता–हवेलिया, झूंसी, इलाहाबाद।
प्रो0 रमेश यादव मो09451067527 ईमेल–shivganga725@gmail.com

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत मोबाईल हेल्थ टीम के भ्रमण हेतु, सपोर्टिव सुपर विजन एवं मानिटरिंग एवं अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों हेतु किराये पर वाहन आपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के लिए आमंत्रित निविदा जो दिनांक–01–05–2018 को खोली गयी थी। जिसमें सपोर्टिव सुपर विजन एवं मानिटरिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराने हेतु वाहनों में आपके फर्म / संस्था की दरें न्यूनतम पायी गयी थी। जो निम्नवत् है।

क्र0	इकाई का नाम	वाहन का पंजीयन संख्या	निविदा में स्वीकृत दर
1	अपर निदेशक, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद	UP66-Q-0051	22995
2	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इलाहाबाद	UP70-ET-9078	22995
3		UP70-GT-2161	22995
4	सीएचसी चाका	UP-70-DC-6032	22995
5	सीएचसी रामनगर	UP-70-ET-0765	22995
6	सीएचसी माण्डा	UP-66-T-4809	22995
7	सीएचसी कोरांव	UP-70-CT-9777	22995
8	सीएचसी मेजा	UP-70-DF-6791	22995
9	सीएचसी जसरा	UP-70-CX-4421	22995
10	सीएचसी, शंकरगढ़	UP-70-CL-8887	22995
11	सीएचसी, कौंधियारा	UP-70-DA-1796	22995
12	सीएचसी, करछना	UP-64-Q-3001	22995
13	सीएचसी, होलागढ़	UP-70-AQ-2795	22995
14	सीएचसी, धनूपुर	UP-66-T-7199	22995
15	सीएचसी, हण्डिया	UP-70-DD-7776	22995
16	सीएचसी, कोटवा एट बनी	UP-70-CF-1666	22995
17	सीएचसी, कौड़िहार	UP-70-FT-3371	22995
18	सीएचसी, बहरिया	UP-70-BY-3650	22995
19	सीएचसी, सैदाबाद	UP-70-FT-2043	22995
20	सीएचसी, फूलपुर	UP-70-EE-5854	22995
21	सीएचसी, मऊआईमा	UP-70-FT-8427	22995
22	सीएचसी, सोरांव	UP-70-FT-8432	22995
23	सीएचसी, प्रतापपुर	UP-66-T-5541	22995

अतः आप द्वारा हस्ताक्षरित अनुबन्ध दिनांक **30.06.2018** के क्रम में आपको आदेशित किया जाता है कि आप उपरोक्त विवरण के अनुसार सपोर्टिव सुपर विजन एवं मानिटरिंग कार्यक्रम हेतु टैक्सी परमिट वाहन निविदा की नियम शर्तो / अनुबन्ध के अनुरूप सम्बन्धित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
O/C इलाहाबाद।

पत्रांकः एनएचएम / वाहन / सपो0सुप0 / 2018–19 / 3127 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, इलाहाबाद।
3. मण्डलायुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
5. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, इलाहाबाद।
6. समस्त अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ की उपरोक्त ई–निविदा में चयनित फर्म से सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम हेतु वाहन प्राप्त करते हुये ई–निविदा / अनुबन्ध में निहित नियम एवं शर्तो के अधीन कार्य कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
O/C इलाहाबाद।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

14 JUN 2018 EF 530415

अनुबन्ध पत्र

मेसर्स कृष्णा इण्टरप्राजेज, पता–हवेलिया, झूंसी, इलाहाबाद, प्रो0–रमेश चन्द्र यादव, मो0–9451067527
प्रथम पक्ष

तथा

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला स्वास्थ्य समिति (सदस्य सचिव), इलाहाबाद द्वितीय पक्ष

यह अनुबन्ध/करार एक ओर मेसर्स कृष्णा इण्टरप्राजेज, पता–हवेलिया, झूंसी, इलाहाबाद, (इसमें इसके पश्चात् फर्म/संस्था कथित जो अभिव्यक्ति, जहाँ सन्दर्भ ऐसा स्वीकार कराता है या में निहित में, उसके/उनके/इसके उत्तराधिकारियों, निष्पादों, प्रशासकों, तथा समनुदेशितिया को शामिल करता है) तथा दूसरी और उत्तर प्रदेश के महामाहिम राज्यपाल (इसमें उसके पश्चात् "महामाहिम राज्यपाल" कथित जो अभिव्यक्ति, जहां सन्दर्भ ऐसा स्वीकार करता है या में निहित है, उनके कार्यालय उत्तराधिकारी या अनुदेशतियाँ को शामिल करता है) के मध्य वर्ष 2018 के माह जून के 30 वें दिन को किया गया।

चूँकि महामाहिम राज्यपाल महोदय करार (अनुबन्ध) में वर्णित तथा निविदा में निश्चित सामग्रियों की आपूर्ति/कार्यो को कराने (इसके पश्चात् कार्यो/आपूर्ति कथित) की अपेक्षा करते है। तथा कार्यो/आपूर्ति का ब्योरा निविदा प्रपत्रों में उल्लिखित/वर्णित कराया है तथा ठेकेदार को कार्यो/आपूर्ति, जो कराया जाना है, का तथा उसके पूरे ब्यौरे का निरीक्षण करने या समझने का ठेकेदार का ठेकेदार की सन्तुष्टि में पर्याप्त समय तथा अवसर दिया है तथा चूंकि ठेकेदार, इसके अन्तर्गत मुद्रित शर्तो तथा निविदा प्रपत्र में उल्लिखित/वर्णित नियम व शर्तो तथा विशेष नियम व शर्तो पर तथा के अध्याधीन इस करार (अनुबन्ध) में वर्णित दरों पर सम्बन्धित निविदा में दी गयी मात्रा की आपूर्ति को निष्पादित/सम्पादित करने के लिए सहमत हुआ है।

For Krishna Enterprises

Partner

अब एतद्द्वारा निम्नलिखित करार/अनुबन्ध किया जाता है :–

ठेकेदार द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम में वाहन उपलब्ध कराने हेतु दी गई दरें न्यूनतम् पाई गई है:–

क्र0	इकाई का नाम	वाहन का पंजीयन संख्या	निविदा में स्वीकृत दर
1	अपर निदेशक, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद	UP66-Q-0051	22995
2	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इलाहाबाद	UP70-ET-9078	22995
3		UP70-GT-2161	22995
4	सीएचसी चाका	UP-70-DC-6032	22995
5	सीएचसी रामनगर	UP-70-ET-0765	22995
6	सीएचसी माण्डा	UP-66-T-4809	22995
7	सीएचसी कोरांव	UP-70-CT-9777	22995
8	सीएचसी मेजा	UP-70-DF-6791	22995
9	सीएचसी जसरा	UP-70-CX-4421	22995
10	सीएचसी, शंकरगढ़	UP-70-CL-8887	22995
11	सीएचसी, कौंधियारा	UP-70-DA-1796	22995
12	सीएचसी, करछना	UP-64-Q-3001	22995
13	सीएचसी, होलागढ़	UP-70-AQ-2795	22995
14	सीएचसी, धनूपुर	UP-66-T-7199	22995
15	सीएचसी, हण्डिया	UP-70-DD-7776	22995
16	सीएचसी, कोटवा एट बनी	UP-70-CF-1666	22995
17	सीएचसी, कौड़िहार	UP-70-FT-3371	22995
18	सीएचसी, बहरिया	UP-70-BY-3650	22995
19	सीएचसी, सैदाबाद	UP-70-FT-2043	22995
20	सीएचसी, फूलपुर	UP-70-EE-5854	22995
21	सीएचसी, मऊआईमा	UP-70-FT-8427	22995
22	सीएचसी, सोरांव	UP-70-FT-8432	22995
23	सीएचसी, प्रतापपुर	UP-66-T-5541	22995

1. ठेकेदार द्वारा उपरोक्त कार्यक्रम हेतु टैक्सी परमिट एसी वाहन (04 व्यक्तियों के बैठने हेतु एवं दवाईयों की किट माड्यूल रखने की उपर्युक्त जगह) होनी चाहिये एवं वाहन का मॉडल वर्ष 2014 से पुराना कदापि न हो।
2. यह निविदा अनुबन्ध की तिथि से 02 वर्ष अथवा कार्यक्रम संचालित होने तक या अगली निविदा स्वीकृत होने तक के लिए मान्य होगी।
3. ठेकेदार द्वारा धरोहर धनराशि के रूप में **रू0 419662/–** की धनराशि जमा की जायेगी तथा कार्यादेश निर्गत होने के उपरांत तथा मानक के अनुरूप कार्यों/आपूर्ति को निष्पादित/सम्पादित करेगा तथा पूरा करेगा। सामग्री की गुणवत्ता एवं समयान्तर्गत आपूर्ति न होने पर कार्यादेश को निरस्त कर दिया जायेगा तथा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
4. ठेकेदार को उसके द्वारा निष्पादित/सम्पादित उन वास्तविक कार्यों/आपूर्ति जिनका कार्यादेश सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हों, तथा सक्षम अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इलाहाबाद द्वारा गठित समिति द्वारा सत्यापित किया गया हो, के प्रतिफल में बजट की उपलब्धता तथा विलम्ब की दशा में बिना ब्याज के इस करार (अनुबन्ध) में वर्णित दरों पर धनराशि अदा करेंगे, जो उस समय तथा शर्तों में उपवर्णित ढंग से सदेय होगी।
5. प्रत्येक टैक्सी परमिट वाहन पर जी0पी0आर0एस0 सिस्टम लगा होना अनिवार्य होगा। जिसका विवरण कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। और प्रत्येक माह भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल के साथ जीपीआरएस डाटा की इनवाईस कापी, लॉग बुक/ड्यूटी स्लीप संलग्न करना अनिवार्य होगा। इनवाईस संलग्न न होने की दशा में भुगतान कदापि नहीं किया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मदारी प्रथम पक्ष (ठेकेदार) की होगी।
6. वाहन न्यूनतम 08 घण्टे प्रतिदिवस एवं न्यूनतम 25 कार्यदिवसों पर व आवश्यकतानुसार प्रथम पक्ष द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

For Krishna Enterprises

Rameshchandra Yadav

Partner

7. **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक टैक्सी परमिट वाहनों को प्रत्येक माह में 1500 किमी0 से कम चलने पर अनुपातक अनुसार भुगतान किया जायेगा।**
8. मासिक किराया वाहन को द्वितीय पक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार जिला मुख्यालय अथवा जिले के बाहर कार्यो हेतु प्रयोग किया जायेगा।
9. ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किये जा रहे प्रत्येक टैक्सी परमिट वाहन पर वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस कमर्सियल होना अनिवार्य है।
10. ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किये जा रहे समस्त वाहनों पर मय चालाक, मय ईंधन, मय मेन्टीनेंश, मय टोल टैक्स, अन्य जो भी व्यय होगा, उनका व्यय सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा ही वहन किया जायेगा। विभाग द्वारा अलग से कोई धनराशि अलग से देय नहीं होगी।
11. ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किये जा रहे समस्त वाहनों के ड्राईवर को यूनिफार्म में आना होगा व उनके द्वारा लॉग बुक प्रत्येक दिवस चालक द्वारा भरा जायेगा एवं अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कराना होगा।
12. ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किये जा रहे समस्त वाहनों पर सफेद सीट कवर लगा होना अनिवार्य होगा। जिसे नियमित रूप से साफ–सफाई भी करानी होगी।
13. ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किये जा रहे वाहनों और उसके चालकों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इलाहाबाद की अनुमति के बिना किसी भी दशा में बदला नहीं जायेगा। अगर किसी वाहन की सर्विस/रिपेयर आदि की आवश्यक पड़ती है तो दूसरा वाहन उपलब्ध कराते हुये मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इलाहाबाद को सूचित करना होगा।
14. यदि ठेकेदार द्वारा समय से वाहनों की आपूर्ति पूर्ण नही की जाती है तो 1000/– प्रतिदिन की दर से पेनाल्टी लगाते हुये प्रस्तुत बिलों से कटौती कर ली जायेगी।
15. उक्त सुविधा उपलब्ध कराये जाने के बावजूद प्रस्तुत बीजको के वापस भुगतान केवल पी0एफ0एम0एस0 के मध्यम से सम्बन्धित फर्म के खाते में किया जायेगा। किसी भी दशा में व्यक्ति विशेष के नाम नही किया जायेगा।
16. कार्यालय द्वारा घोषित सूचनायें मांगे जाने पर अनुमोदित फर्म द्वारा अनिवार्य रूप से सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।
17. **अन्य सभी शर्ते जो कि निविदा फार्म में उल्लिखित है वह भी प्रथम पक्ष को स्वीकार है।**
18. प्रथम पक्ष द्वारा वाहन आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से न किये जाने में असमर्थ होने की दशा में यह अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा और धरोहर धनराशि जब्त करते हुये काली सूची में डाल दिया जायेगा।

दिनांक
स्थान
For Krishna Enterprises
हस्ताक्षर ...
प्रथम पक्ष अनुबन्धित फर्म/संस्था
नाम : .... Partner
निवासी– ....
....
मो0नं0 9451067527

हस्ताक्षर........
द्वितीय पक्ष
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति
जनपद........

दो गवाहों के नाम, हस्ताक्षर एवं पता

1. ....
नाम ....
पता ....
मो0नं0 8127081851

2. प्रलय त्रिपाठी
नाम प्रलय त्रिपाठी
पता ....
मो0नं0 8858827563